उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 165   दिनांक /Date.: 12.06.2020

संवाद–38

विषयः–आरक्षण/अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ईमेल पर कुछ अभ्यर्थियों से EWS आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में पृच्छायें प्राप्त हो रही हैं कि क्या पुराने प्रमाण पत्र(जिनकी समय अवधि समाप्त हो गयी है) के साथ आवेदन किया जा सकता है।

इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें कोई समय अवधि दी गयी है उसी अवधि तक विधि मान्य होगा। उस अवधि के बाद पुनः प्रमाण पत्र जारी किया जायगा। आयोग के आवेदनों में इसका स्पष्ट उल्लेख रहता है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक अपनी अर्हता/आरक्षण सम्बन्धी विधिक प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है।

अतः ऐसे मामलों में आवेदन की अंतिम तिथि तक विधिक प्रमाण पत्र होने पर ही अभ्यर्थी को उसका लाभ मिल सकेगा।

12/6/20
(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता   पारदर्शिता   वस्तुनिष्ठता

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand

दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com